बिहार सरकार

खेल विभाग

अधिसूचना

सं०–01 / स्था०–26(निय०)–03 / 2024 / 2636 पटना, दिनांक–10.06 / 2025

भारत–संविधान के अनुच्छेद–309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल खेल विभाग के अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए **बिहार खेल लिपिकीय संवर्ग** के कर्मचारियों की भर्ती और सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ :–**

(i) यह नियमावली "**बिहार खेल लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2025**" कही जा सकेगी।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(iii) यह राजपत्र में प्रकाशित होते ही तुरंत प्रवृत्त होगी।

2. **परिभाषाएँ** :– इस नियमावली में जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(i) "खेल" से अभिप्रेत है सभी शारीरिक और बौद्धिक गतिविधियाँ, चाहे वे व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से की जाती हो तथा भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा खेल के रूप में मान्यता प्राप्त हों। इसे राष्ट्रीय खेल महासंघ द्वारा विहित नियमों और विनियमों द्वारा भी विनियमित किया जाना चाहिए और ओलम्पिक खेलों / एशियाई खेलों / राष्ट्रमंडल खेलों / राष्ट्रीय खेलों में खेला जाना चाहिए।

(ii) "खेल आयोजन" से अभिप्रेत है खेल से संबंधित कोई भी आयोजन, जिसमें व्यक्तिगत, दोहरी और टीम स्पर्द्धाएँ शामिल हैं, जिसे उस खेल को संचालित करने वाले प्राधिकृत खेल निकाय द्वारा मान्यता प्राप्त हो;

(iii) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है बिहार सरकार ;

(iv) "विभाग" या "नियंत्री विभाग" से खेल विभाग अभिप्रेत है;

(v) "नियुक्ति प्राधिकार" से अभिप्रेत है खेल विभाग के अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों के लिपिकीय संवर्ग के लिए खेल विभाग के अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव;

(vi) "आयोग" से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग;

(vii) "संवर्ग" से अभिप्रेत है बिहार खेल लिपिकीय संवर्ग;

(viii) "संवर्ग नियंत्री प्राधिकार" से अभिप्रेत है खेल विभाग के अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों के लिपिकीय संवर्ग के लिए खेल विभाग के अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव;

(ix) "सदस्य" से अभिप्रेत है बिहार खेल लिपिकीय संवर्ग में नियुक्त एवं कार्यरत व्यक्ति;

a

(x) "नियत तिथि" से अभिप्रेत है इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि;

(xi) "अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति" से अभिप्रेत है ऐसे सरकारी कर्मचारी जिसकी मृत्यु कर्तव्य/सेवा के दौरान हुई थी, के आश्रितों में से किसी एक की सुसंगत परिपत्रों/अनुदेशों के अनुसार अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति।

3. संवर्ग की संरचना :–

(i) खेल विभाग के अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों के लिपिकीय संवर्ग की संरचना निम्न रूप से होगी :–

क्र० सं०	श्रेणी का नाम	स्तर
1	निम्नवर्गीय लिपिक	मूल कोटि
2	उच्चवर्गीय लिपिक	प्रथम प्रोन्नति स्तर
3	प्रधान लिपिक	द्वितीय प्रोन्नति स्तर

(ii) इस संवर्ग के पदों की स्वीकृत संख्या वही होगी जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विहित/स्वीकृत किया जायेगा।

(iii) यह संवर्ग राज्य स्तरीय होगा तथा खेल विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में रहेगा।

(iv) "क्षेत्रीय कार्यालय" से अभिप्रेत है खेल विभाग के अधीनस्थ कार्यालय।

(v) इस संवर्ग में पदों को वही वेतनमान/वेतन स्तर अनुमान्य होगा, जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विहित/स्वीकृत किया जायेगा।

(vi) कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के अधीन बिहार अधीनस्थ खेल एवं युवा लिपिकीय संवर्ग के अन्तर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों में नियत तिथि के पूर्व कार्यरत लिपिक स्वतः इस संवर्ग में नियुक्त एवं कार्यरत समझे जायेंगे।

(vii) इस संवर्ग के सदस्यों को राज्य के भीतर किसी भी स्थान पर पदस्थापित किया जा सकेगा। संवर्ग के किसी भी सदस्य को उसकी योग्यता के अनुरूप किसी गैर–संवर्गीय पद पर पदस्थापित या प्रतिनियुक्त किया जा सकेगा।

4. शैक्षणिक अर्हता :–

(i) निम्नवर्गीय लिपिक के मूल पद पर सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता इंटमीडिएट (10+2) उत्तीर्ण अथवा समकक्ष तथा कम्प्यूटर संचालन एवं कम्प्यूटर टंकण का ज्ञान होना अनिवार्य होगा।

(ii) भर्त्ती के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विहित/विनिश्चित की जाय।

5. मूल कोटि में नियुक्ति। :–

(i) बिहार कर्मचारी चयन आयोग की अनुशंसा पर नियुक्ति प्राधिकार द्वारा निम्नवर्गीय लिपिक की मूल कोटि में नियुक्ति की जाएगी।

(ii) नियुक्ति प्राधिकार प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को रिक्तियों की गणना करेगा तथा 30 अप्रैल तक अधियाचना आयोग को भेजी जाएगी।

(iii) निम्नवर्गीय लिपिक के पचासी प्रतिशत (85%) पद सीधी भर्त्ती से भरे जायेंगे, जबकि शेष पंद्रह प्रतिशत (15%) पद कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) से प्रोन्नति के माध्यम से भरे जायेंगे। कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) के पद से प्रोन्नति के लिए पात्रता मानदंड सेवा के वर्षों (पदग्रहण की तिथि से गणना) या उच्चतर प्राधिकारियों द्वारा यथाविहित अन्य मानदंडों के आधार पर निर्धारित किए जाएँगे। इसके अतिरिक्त, उम्मीदवार के पास इंटरमीडिएट अर्हता होनी चाहिए और वरीयता आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर प्रोन्नत कर्मचारियों के लिए अपनी पहली वेतन वृद्धि के बाद अगली वेतन वृद्धि के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा और विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।

(iv) अनुकम्पा पर नियुक्ति के संबंध में सरकार द्वारा समय–समय पर किए गए प्रावधान भी लागू होंगे। ऐसे सरकारी सेवक जिसकी मृत्यु सेवा के दौरान हुई थी, के आश्रितों को सीधी भर्ती के लिए उपलबध रिक्त पदों पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकेगा यदि वे अपेक्षित मानदंड पूरा करते हैं, जिसके लिए आयोग की सिफारिश की आवश्यकता नहीं होगी। परन्तु सेवा के दौरान मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की नियुक्ति के पश्चात् प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष की शेष रिक्तियों की अधियाचना नियमित रिक्तियों के साथ उस कैलेण्डर वर्ष की 30 अप्रैल तक आयोग को भेजी जाएगी।

(v) नियुक्ति प्राधिकार सम्यक् रूप से रिक्ति की अधियाचना बिहार कर्मचारी चयन आयोग को भेजेगा तथा बिहार कर्मचारी चयन आयोग रिक्तियों का विज्ञापन प्रकाशित करेगा तथा प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सफल अभ्यर्थियों का चयन कर, मेधा क्रम में अभ्यर्थियों के नाम की अनुशंसा संबंधित नियुक्ति प्राधिकार को करेगा। मेधा सूची की वैधता अनुशंसा प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष तक होगी।

(vi) उचित जाँच के बाद नियुक्ति प्राधिकार अभ्यर्थियों को एक वर्ष के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त करेगा।

6. **आरक्षण** :– संवर्ग में भर्ती एवं प्रोन्नति के लिए राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित आरक्षण/रोस्टर के प्रावधान लागू होंगे।

7. **वरीयता** :–

(i) नियत तिथि से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत सदस्यों की पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

(ii) नियत तिथि से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत सदस्य, नियत तिथि के बाद नवनियुक्त कर्मचारियों से वरीय होंगे।

(iii) संवर्ग में नवनियुक्त कर्मचारियों की पारस्परिक वरीयता आयोग द्वारा निर्धारित उनकी मेधा क्रम के अनुसार विनिश्चित की जाएगी। हालाँकि, इस नियमावली के प्रारंभ से पहले विनिश्चित की गई पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

परन्तु अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति उन व्यक्तियों से कनीय होंगे जो संबंधित भर्ती वर्षों में प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्त किए जाएँगे, किन्तु किसी भर्ती वर्ष में प्रोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति संबंधित भर्ती वर्ष में प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्त व्यक्तियों से वरीय होंगे।

8. **परिवीक्षा अवधि** :–संवर्ग की मूल कोटि में नियुक्त सदस्य पदग्रहण की तिथि से 01 वर्ष तक परिवीक्षा पर रहेंगे। यदि परिवीक्षा अवधि के दौरान सेवा संतोषजनक नहीं पाई जाती है, तो कारणों को दर्ज करते हुए इसे 01 वर्ष के लिए बढ़ायी जा सकेगी। यदि बढ़ाई गई अवधि के दौरान भी सेवा संतोषजनक नहीं पाई जाती है, तो सेवा समाप्त की जा सकेगी।

9. **प्रशिक्षण** :– नवनियुक्त निम्नवर्गीय लिपिक को यथानिर्धारित प्रशिक्षण में भाग लेना आवश्यक होगा।

10. **हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा** :– नवनियुक्त निम्नवर्गीय लिपिकों को बिहार सरकार के मंत्रिमंडल विभाग (राजभाषा) द्वारा आयोजित बिहार सरकारी सेवक (हिन्दी परीक्षा) नियमावली, 1968 (समय–समय पर यथा संशोधित) में निहित प्रावधानों के अनुसार हिन्दी टिप्पण और प्रारूपण परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।

11. **विभागीय परीक्षा एवं पाठ्य विवरण** :– नवनियुक्त निम्नवर्गीय लिपिकों को कम्प्यूटर योग्यता परीक्षा एवं विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। विभागीय परीक्षा का विषय, पाठ्य विवरण एवं प्रक्रिया केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्षद द्वारा निर्धारित की जाएगी।

12. **सम्पुष्टि** :– परिवीक्षाधीन व्यक्ति की सेवा, परिवीक्षा अवधि संतोषप्रद ढंग से पूरी करने, मंत्रिमंडल (राजभाषा) विभाग द्वारा आयोजित हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा तथा केन्द्रीय परीक्षा समिति एवं राजस्व पर्षद द्वारा विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने करने के पश्चात् सम्पुष्ट की जाएगी।

13. **प्रोन्नति** :–

(i) मूल कोटि से उच्च कोटि में प्रोन्नति राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित अवधि पूरी करने पर तथा विभाग द्वारा गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर दी जाएगी। विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन विभाग द्वारा पृथक् आदेश से किया जाएगा।

(ii) प्रोन्नति के लिए कार्यकाल पूरा करना तथा सरकार द्वारा समय–समय पर यथाविहित अन्य अर्हताएं एवं मानदंड पूरा करना आवश्यक होगा।

14. **अवशिष्ट मामले** :– राज्य सरकार के समकक्ष स्तर के कर्मचारियों के लिए लागू सभी प्रावधान, नियम, अनुदेश आदि उस मामले के संदर्भ में संवर्ग के सदस्यों पर भी लागू होंगे जिनके संबंध में इस नियमावली में विनिर्दिष्ट प्रावधान नहीं किया गया है।

15. कठिनाइयों को दूर करना :–

(i) यदि सरकार की राय में, इस नियमावली के किसी प्रावधान के लागू होने से सेवा के किसी सदस्य या सदस्यों के समूह को अनुचित कठिनाई होती है, तो सरकार, कारणों को लिखित रूप में दर्ज करके और सामान्य प्रशासन विभाग के परामर्श से, ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक सीमा तक ऐसे प्रावधान (प्रावधानों) को शिथिल कर सकेगी।

(ii) इस नियम के अन्तर्गत कोई भी छूट केवल आसाधारण परिस्थितियों में ही दी जाएगी तथा यह नियमावली के उद्देश्यों और भावना के असंगत नहीं होगी।

(iii) इस छूट से किसी व्यक्ति या समूह को कोई अनुचित लाभ या अधिमान्यता प्रदान नहीं की जाएगी तथा ऐसे किसी भी आदेश को पारदर्शिता के लिए राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

(iv) सरकार वरीय पदाधिकारियों और विषय–वस्तु विशेषज्ञों की एक समिति यह जाँच करने और सिफारिश करने के लिए कर सकेगी कि क्या प्रत्येक मामले में छूट देना न्यायोचित है।

16. निर्वचन :– जहाँ इस नियमावली के किसी प्रावधान के निर्वचन में कोई संदेह हो, वहाँ विभाग द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग/विधि विभाग के परामर्श से निर्णय लिया जाएगा और उसका निर्णय अंतिम होगा।

17. निरसन या व्यावृत्ति :– (i) कला, संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा इस संवर्ग के सदस्यों के संदर्भ में अधिसूचित "बिहार अधीनस्थ खेल एवं युवा लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2020" को एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(ii) ऐसे निरसन के होते हुए भी, पूर्व नियमावली/संकल्प/अनुदेश के अधीन किया गया कोई कार्य या लिया गया कोई निर्णय नियमावली के अधीन किया गया या लिया गया माना जाएगा, मानों यह नियमावली उस दिन लागू हुई थी जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गई थी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

9/06/25

(निरंजन कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञाप सं०–01/स्था०–26(निय०)–03/2024/2636 पटना, दिनांक 10.06/2025

प्रतिलिपिः–ई–गजट प्रकोष्ठ, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु तथा इसकी 300 मुद्रित प्रतियाँ इस विभाग को भेजने हेतु प्रेषित।

9/06/25

(निरंजन कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव